प्रेषक

Through E-Mail

महानिदेशक,
खजाना एंव लेखा विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ।

सेवा मे,

सभी खजाना अधिकारी एंव सहायक खजाना अधिकारी,
हरियाणा।

क्रमांकः–TA/HR(PDC)/2017/46 दिनांक 11/04/17

विषय ई–पैंशन सिस्टम ।

उपरोक्त विषय में वित्त विभाग के पत्र क्रमांक 2/32/2012–1Pension(FD) दिनांक 01–07–2014 के संदर्भ मे।

आपको लिखा जाता है कि :–

1. पैंशन से संबंधित सभी प्रकार की रिविजन, अपडेशन, आयकर कटौती,कम्यूटेशन कटौती आदि का अधिकार खजाना अधिकारी एंव सहायक खजाना अधिकारी के पास निहित है। परन्तु यह देखने मे आया है कि यदि पैंशनर को अपनी पैंशन से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी की आवश्यकता होती है तो उन्हें पूर्ण जानकारी उपलब्ध नही करवाई जा रही है और पैंशनर को पी0डी0सी0 मे जाने/बात करने हेतू सलाह दी जाती है। जोकि नियमानुसार नही है।

   अतः आपको लिखा जाता है कि पैंशनर द्वारा मांगी जाने वाली हर प्रकार की जानकारी अपने स्तर पर प्रदान की जावे। क्योंकि सभी प्रकार की रिपोर्ट आपके लॉग इन आई–डी मे उपलब्ध है। यदि किसी समस्या का निवारण खजाना /उप खजाना स्तर पर नही हो रहा तो केस को अपनी टिप्पणी सहित पी0डी0सी0 को भेजा जावे।

2. उप खजाना से संबंधित कोई भी पत्राचार/ई–मेल सीधे तौर पर पी0डी0सी0 को न भेजकर, संबंधित खजाना कार्यालय द्वारा पूर्ण रूप से केस की जॉच पड़ताल करने के पश्चात्, यदि समस्या का निवारण जिला खजाना के द्वारा किया जाना सम्भव नही है, तो खजाना कार्यालय के द्वारा केस अपनी टिप्पणी सहित पी0डी0सी0 को भेजा जावे। उप खजाना से प्राप्त कोई भी पत्राचार/ई–मेल सीधे तौर पर पी0डी0सी0 के द्वारा नियमानुसार स्वीकार नही किया जा सकता।

3. 7वें वेतन आयोग से संबंधित पैंशन की रिविजन ई–पैंशन मे उपलब्ध आपशन का प्रयोग करते हुये की जावे। यह देखने मे आया है कि फरीदाबाद व भिवानी खजाना द्वारा AIS की 6वें वेतन आयोग मे ही मूल पैंशन को manually बदल दिया गया जोकि पूर्ण रूप से गल्त है और जिसकी वजह से ओवर पैंमेट हुई क्योंकि 6वें वेतन आयोग मे DA 125% निहित है। अतः नियमानुसार पैंशन की रिविजन 7वें वेतन आयोग के लिए दिये गये आपशन का प्रयोग करते हुये किया जाना सुनिश्चित करें।

4. जैसा कि सर्वविदित है कि अप्रैल के महीने मे जीवन प्रमाण पत्र लिये जा रहे है और ई–पैंशन सिस्टम मे आनलाइन जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करने के पश्चात् ही पी0डी0सी0/खजाना/उप खजाना के द्वारा बिल बनाये जा सकते है। यह देखने मे आया है कि जैसे ही पैंशनर अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के लिये खजाना/उप खजाना मे आता है तो वह तुरन्त पी0डी0सी0 को दूरभाष पर सूचित करते है कि मैने जीवन प्रमाण पत्र दे दिया है और मेरा बिल अभी बना दिया जाये।

इस बारे मे जैसा कि आपको अवगत है कि जीवन प्रमाण पत्र देने के पश्चात् खजाना/उप खजाना को jeevanpramaan.gov.in से फाईल डाउनलोड करते हुये ई–पैंशन सिस्टम मे अपलोड करनी पड़ती है। फिर पैंशनरस डाटा को वैरीफाई किया जाता है और इससे संबंधित रिसपोन्स फाईल जीवन प्रमाण पोर्टल पर अपलोड करनी पड़ती है। इस प्रकार से यह प्रकिया पूर्ण होने के पश्चात् पी0डी0सी0 के द्वारा बिल बनाया जाना सम्भव है । बिल बनाकर खजाना कार्यालय पंचकूला से पास करवाया जाता है और उसके पश्चात् अदायगी हेतू संबंधित बैंक मे भेजा जाता है। इसप्रकार से इस प्रकिया मे लगभग 3 दिन का समय लगता है।

अतः आपको लिखा जाता है कि प्रतिदिन जो जीवन प्रमाण पत्र लिये जाते है उनको शाम को ई–पैंशन सिस्टम मे अपलोड करना सुनिश्चित करें, ताकि आगामी कार्य दिवस मे पी0डी0सी0 द्वारा पैंशनर का बिल बनाया जा सके। इसके साथ ही पैंशनर को उचित जानकारी भी उपलब्ध करवायें कि ई–पैंशन मे अपडेशन के पश्चात् लगभग 3 कार्य दिवस के बाद ही पैंशन की अदायगी सम्भव है। इस बारे मे आप अपने खजाना/ उप खजाना मे उपरोक्त बारे नोटिस लगवाना सुनिश्चित करें। ताकि पैंशनर को कोई भी परेशानी न आये।

उपनिदेशक (पी0डी0सी0),
कृतेः महानिदेशक,
खजाना एंव लेखा विभाग,
हरियाणा, पंचकूला।

11/04/17